रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2000/अग्रहायण 16, 1922
No. 792] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2000/AGRAHAYANA 16, 1922

mrtCode

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2000

का. आ. 1095(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि सामूहिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद संख्या (xxi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी :

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xxi) के अधीन नाम निर्देशित सदस्य	(अवधि जिस तक के लिए नाम निर्देशित किया गया है)
"(xxi) डा. एन. सेनगुप्ता, निदेशक, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)"।

[फा. सं. 19-1/2000-पी पी I]
पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 301 तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किये गए थे।

(i) सा. का. नि. 1216 तारीख 19 अगस्त, 1971
(ii) सा. का. नि. 478 (अ) तारीख 10 अगस्त, 1976
(iii) का. आ. 848 (अ) तारीख 25 अक्तूबर, 1989
(iv) का. आ. 528 (अ) तारीख 19 जुलाई, 1993
(v) का. आ. 849 (अ) तारीख 20 अक्तूबर, 1995
(vi) का. आ. 346 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 1997
(vii) का. आ. 70 (अ) तारीख 20 जनवरी, 1998
(viii) का. आ. 132 (अ) तारीख 24 फरवरी, 1999
(ix) का. आ. 807 (अ) तारीख 6 सितम्बर, 2000

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2000

S.O. 1095(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely :—

In the said notification, for item number (xxi) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :—

	(Period upto which nominated)
Member nominated under clause (xxi) of Sub-section (3) of Section 4 :	
"(xxi) Dr. M. Sengupta, Director, Ministry of Environment and Forests Government of India	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification)".

[F. No. 19-1/2000-PP.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 and subsequently amended vide :—

(i) G.S.R. 1216 dated the 19th August, 1971

(ii) G.S.R. 478(E) dated the 10th August, 1976

(iii) S.O. 848(E) dated the 25th October, 1989

(iv) S.O. 528(E) dated the 19th July, 1993

(v) S.O. 849(E) dated the 20th October, 1995

(vi) S.O. 346(E) dated the 24th April, 1997

(vii) S.O. 70(E) dated the 20th January, 1998

(viii) S.O. 132(E) dated the 24th February, 1999

(ix) S.O. 807(E) dated the 6th September, 2000.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054